

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक:- प.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.वी./17/14438

दिनांक:- 22/6/17

:- आदेश :-

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के सुगम व सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.स.	नाम कर्मचारी	पद	कहां से	कहां को
1	श्री राकेश शर्मा	वरिष्ठ लिपिक	कोटा	ईटावा
2	श्री जितेन्द्र कलाल	कनिष्ठ लिपिक	वाडमेर	डूंगरपुर
3	श्री पीराराम	कनिष्ठ लिपिक	वाडमेर	सांचौर
4	श्री प्रवीण पाटीदार	कनिष्ठ लिपिक	वांसवाडा	सागवाडा
5	श्री मिलिन मीणा	कनिष्ठ लिपिक	सागवाडा	वांसवाडा
6	श्री जगदीश कुमार	कनिष्ठ लिपिक	जैसलमेर	वालोतरा
7	श्री कैलाश बंजारा	कनिष्ठ लिपिक	छापर	देवगढ़
8	श्री सिद्धार्थ सिंह धर्मावत	कनिष्ठ लिपिक	रावतसर	जैतारण

विभागीय आदेश क्रमांक प.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.वी./16/13840 -13852 दिनांक 08.06.2017 के द्वारा श्री हरि सिंह बगडिया, कनिष्ठ लिपिक का नगर पालिका, श्रीमाधोपुर से नगर पालिका, सूरजगढ़ में किये गये स्थानान्तरण को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

नोट:-

1. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
2. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
3. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
4. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
5. कर्मचारी को पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कराया गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जाये।


(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त
शासन सचिव

दिनांक:- 22/6/17

क्रमांक:- प.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.वी./17/14439-14473

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क.प.उ.

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
3. उप निदेशक (क्ष0) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/अजमेर/बीकानेर/कोटा/जोधपुर/
भरतपुर/उदयपुर।
4. सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिसाषी अधिकारी/नगर निगम/नगर परिषद/पालिका.....
.....।
5. श्री..... पद..... नगर पालिका.....।
6. सुरक्षित पत्रावली।


(अलका मीणा)
उप निदेशक (प्रशासन)